न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– जीतू कुलहरी आर.ए.एस.

अनवान :– प्रार्थना पत्र संख्या 134 / 2022

सुखमहेन्द्र सिंह पुत्र श्री गुरचरण सिंह पुत्र श्री करनैल सिंह जाति जटसिख निवासी गांव ढींगावाली राठान चक 4 एल एल तहसील व जिला श्रीगंगानगर राजस्थान

– – **प्रार्थी**

–:: बनाम ::–

राजस्थान सरकार, जरिये तहसीलदार, श्रीगंगानगर

– – **अप्रार्थी**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट

–:: उपस्थिति ::–

1. श्री प्रेमप्रकाश मक्कड़ – – प्रार्थी
2. पैरोकार राज – – अप्रार्थी

– :: निर्णय ::–

दिनांक :–08.07.2024

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआर एक्ट में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के पिता श्री गुरचरण सिंह के प्रार्थना पत्र पर सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा करनैल सिंह के जो वारिसान है उनका नाम उल्लेखित किया गया है जिसमें प्रार्थी के पिता श्री गुरचरण सिंह का देहान्त दिनांक 25–01–2012 को हो चुका है। सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा वारिस प्रमाण पत्र जारी किया गया है जिसमें प्रार्थी का नाम सुखमहेन्द्र सिंह पुत्र श्री दर्ज किया हुआ है । वारिस प्रमाण पत्र दिनांक 05–07–2011 व वारिस प्रमाण पत्र दिनांक 25–01–2012 की प्रतियां संलग्न है। प्रार्थी का नाम वर्तमान जमाबन्दी में सहवन से अथवा त्रुटि से जसविंदर सिंह पुत्र श्री गुरचरण सिंह दर्ज हो गया है जो पूर्णतया त्रुटिपूर्ण किया गया है । प्रार्थी का आधार कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र संलग्न है। जिससे यह स्पष्ट है कि प्रार्थी का नाम सुखमहेन्द्र सिंह पुत्र श्री गुरचरण सिंह जाति जटसिख निवासी गांव ढींगावाली 4 एल एल तहसील व जिला श्रीगंगानगर है । वर्तमान जमाबन्दी जो बनाई गई है वह गुरजीत सिह पुत्र स्व० श्री जस्सा सिंह उर्फ जसकरण सिंह द्वारा 50 रूपये के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र दिया गया जिसमें जानबूझकर व प्रार्थी का नाम सुखमहेन्द्र सिंह के स्थान पर जसविंदर सिंह लिखवाया गया जबकि वास्तव में प्रार्थी का नाम सुखमहेन्द्र सिंह पुत्र श्री गुरचरण सिंह है दौराने जमाबन्दी में प्रार्थी को सुनवाई का मौका नहीं दिया गया और ना ही शपथ पत्र जो दिया गया वह मि[illegible] तथ्यों के आधार पर दिया गया है जिसके खिलाफ धारा 420 आई पी सी का मुकदमा [illegible] प्रार्थी द्वारा तहसीलदार, श्रीगंगानगर के यहां वर्तमान जमाबन्दी जो अभी बनाई गई है में नाम सही करने हेतु निवेदन किया परन्तु उसमें इन्कार करते हुए यह कहा कि धारा 136 भू राजस्व अधिनियम अन्तर्गत सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं है इसलिए प्रार्थी प्रार्थना पत्र श्रीमान् न्यायालय में कर रहा है। यह कि प्रार्थना पत्र को सुनने का क्षेत्राधिकार अदालतवाला को हासिल है । अतः प्रार्थना पत्र पेश करके निवेदन है कि वर्तमान जमाबन्दी जो अभी बनाई गई है जिसमें प्रार्थी का नाम जसविंदर सिंह पुत्र श्री गुचरण सिंह क्रम संख्या 6 पर दर्ज हो गया है उसको

Signature Not Verified
Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2024.09.11 15:30:46 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज.)

दुरूस्त किया जाकर प्रार्थी का नाम का नाम सुखमहेन्द्र सिंह पुत्र श्री गुरचरण सिंह जाति जटसिख निवासी गांव ढींगावाली 4 एल एल तहसील व जिला श्रीगंगानगर किया जावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर पैरोकार राज तहसीलदार(राजस्व) श्रीगंगानगर से जांच रिपोर्ट ली गई। पैरोकार राज तहसीलदार(राजस्व) श्रीगंगानगर द्वारा जरिए कमांक 2962 दिनांक 04.06.2024 के रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसमें अंकित तथ्यानुसार उक्त विषय के संबंध में पटवारी हलका से रिपोर्ट ली गई। मुताबिक राजस्व रिकार्ड जमाबंदी संवत 2074–2076 अनुसार पटवार मण्डल 4 एलएल के चक 7 एचएच के खाता सं. 10 में मु.न. 5 की कुल 6.325 है. नहरी भूमि में से जसविन्द्रसिंह पुत्र गुरचरणसिंह जाति जटसिख सा. ढींगावाली के नाम 1/28 हिस्सा (0.2258 है.) भूमि संयुक्त खाता रिकार्ड दर्ज है। पटवार मण्डल 4 एलएल के चक 7 एचएच के नामा. सं. 848 दिनांक 03.04.2022 (विरासत नामा) के दस्तावेजों यथा शपथ पत्र अनुसार प्रार्थी का नाम 'जसविन्द्रसिंह' दिया गया जिसके आधार पर उक्त नामा में प्रार्थी का नाम जसविन्द्रसिंह का अंकन हुआ। उक्त प्रकरण के संबंध में पटवारी हल्का द्वारा मौका जांच की गई जिसके अनुसार चक 7 एचएच मु.न. 5 में दर्ज खातेदार जसविन्द्रसिंह पुत्र गुरचरणसिंह जाति जटसिख जो कि हाल श्रीगंगानगर के निवासी है उनका मुताबिक निजी दस्तावेज यथा आधार कार्ड में सुखमहेन्द्रसिंह पुत्र गुरचरणसिंह बताया गया । दैनिक डायरी की प्रति सलंग्न है। मुताबिक रिपोर्ट पटवारी चक 4 एचएच के मु.न. 5 मे दर्ज खातेदार जसविन्द्रसिंह या सुखमहेन्द्रसिंह एक ही व्यक्ति के नाम है ।

प्रार्थी द्वारा अपने भाई गुरतेज सिंह पुत्र श्री गुचरण सिंह का साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया।

वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के समर्थन में जमाबंदी संवत 2070–2073 चक 7 एचएच, पटवार हल्का 4 एलएल, भू.अ.निरीक्षक गोविन्द्रपुरा खाता संख्या 10/92 की प्रति, इंतकाल संख्या 848/03.04.2022 की प्रति, आधार कार्ड, ग्राम पंचायत 4 एलएल द्वारा जारी गुरचरण सिंह पुत्र करनैल सिंह का वारिस प्रमाण पत्र, निर्वाचन कार्ड की प्रतियों, तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया गया।तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा भी दुरूस्ती किये जाने की अनुशंषा की गई है। अभिलेखीय साक्ष्यों एवम् तहसीलदार श्रीगंगानगर से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 136 एलआर एक्ट न्यायालय स्वीकार करना न्यायोचित पाता है।

–:: आदेश ::–

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर जमाबंदी संवत 2070–2073 चक 7 एचएच, पटवार हल्का 4 एलएल, भू.अ.निरीक्षक गोविन्द्रपुरा खाता संख्या 10/92 में प्रार्थी का नाम जसविंदर सिंह पुत्र श्री गुरचरण सिंह को दुरूस्त किया जाकर प्रार्थी का नाम सुखमहेन्द्र सिंह पुत्र श्री गुरचरण सिंह जाति जटसिख निवासी गांव ढींगावाली 4 एल एल तहसील व जिला श्रीगंगानगर दर्ज किए जाने का आदेश दिया जाता हैं।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित [illegible] है कि यदि उक्त वर्णित भूमि पर ऋण भार की स्थिति हो तो वह पूर्वानुसार [illegible] उक्त[illegible] राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/[illegible]) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2024.09.11 15:30:46 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर [illegible]द तकमील दफ्तर दाखिल हों।

निर्णय आज दिनांक 08.07.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

08/7/24

(जीतू कुल्हरी)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर